


II/निग०/शहडोल/2018/017/5

न्यायालय में श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट
रीवा (म०प्र०)

399



1. गोरेलाल पनिका पिता चिड़डा पनिका निवासी ग्राम अरहरियाटोला दुआरी,
2. छैलू कोल पिता मोतिया कोल निवासी ग्राम कुबरा थाना व त हसील जयसिंहनगर हालमुकाम अरहरिया टोला दुआरी
3. बेसाहू अहीर पिता बुद्धा अहीर निवासी ग्राम कुबरा, थाना व तहसील जयसिंहनगर हालमुकाम अरहरियाटोला दुआरी
4. रामसजीवन पनिका पिता चुटुआ पनिका निवासी ग्राम कुबरा, सभी का थाना व तहसील जयसिंहनगर जिला-शहडोल (म०प्र०)

..... निगरानीकर्तागण/आवेदकगण

बनाम

1. अखिलेश पिता राधिका प्रसाद द्विवेदी
2. जनार्दन पिता रामचरण ब्राम्हण
3. जोधी पिता जहांगीर पनिका
4. मनबोधी पिता हरीदीन पनिका

सभी निवासी ग्राम कुबरा, थाना व तहसील जयसिंहनगर जिला-शहडोल (म०प्र०)

..... अनावेदकगण/उत्तरवादीगण

आदेश न्यायालय कलेक्टर महोदय शहडोल
द्वारा पेशा/13-3-18
/h/

राजस्व निगरानी

विरुद्ध आदेश न्यायालय कलेक्टर महोदय शहडोल
जिला-शहडोल (म०प्र०) बसिलसिले राजस्व प्रकरण
क्रमांक- 15/निगरानी/2016-17 एवं प्र०क०- 38/स्व.
निगरानी/2016-17 आदेश दिनांक 25.01.2018 एवं
तहसीलदार जयसिंहनगर जिला-शहडोल का राजस्व
प्रकरण क्र०- 140/अ-3/2014-15 आदेश दिनांक 18.
07.2015

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०सं०

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

2

प्रकरण क्रमांक - दो/निग./शहडोल/2018/1715

गोरेलाल पनिका आदि विरुद्ध अखिलेश द्विवेदी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-01-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री सतेन्द्र पाठक उपस्थित ।</p> <p>3. प्रस्तुत निगरानी ततहसीलदार जयसिंहगर, जिला- शहडोल के प्रकरण क्रमांक 140/अ-12/2014-15 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 18-07-2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई थी ।</p> <p>4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरुद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये हैं ।</p> <p>5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 25-03-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।</p>	<p>(आर.के. जैन) सदस्य 23/01/19</p>